रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245155
CG-DL-E-13042023-245155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 288(अ).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1994 का अधिक्रमण करते हुए पूर्व में की गई या हटाई गई बातों को छोड़कर केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), आकाशवाणी, के कार्यालयों और केंद्रों में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियम के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (पुस्तकालय पद) भर्ती नियम, 2023 से जाना जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपयुक्तता.-** यह नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद अथवा अप्रवरण पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	38* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । **टिप्पणी:-** ये नियम केंद्र सरकार के सभी सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तक विद्यमान रहेंगे, जो निगम में प्रतिनियुक्तिवत हैं ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख, राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	स्तर-7 (रू. 44,900-1,42,400)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू हैं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है ।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति से या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने की प्रतिशतता ।
7.	8.	9.	10.
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ऐसे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना ।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
11.	12.	13.
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400- 112400 रुपये) में ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा पूरी कर ली हो । **टिप्पणी:-** ऐसे कनिष्ठ कर्मियों को 4 जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) शामिल हैं:- (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन)/(मानव संसाधन) या उप महानिदेशक (मानव संसाधन), महानिदेशालय, आकाशवाणी - अध्यक्ष;	लागू नहीं

लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो ।	(2) उप महानिदेशक (प्रशासन)/(मानव संसाधन) या निदेशक (मानव संसाधन), महानिदेशालय, आकाशवाणी - सदस्य; (3) उप निदेशक प्रशासन, महानिदेशालय, आकाशवाणी - सदस्य	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा अप्रवरण पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6
2. पुस्तकालय और सूचना सहायक।	189* (2023) * * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । **टिप्पणी:-** ये नियम केंद्र सरकार के सभी पुस्तकालय और सूचना सहायकों की सेवानिवृत्ति तक विद्यमान रहेंगे, जो निगम में प्रतिनियुक्तिवत हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ख, अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय ।	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू हैं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति से या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने की प्रतिशतता ।
7.	8.	9.	10.
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं **टिप्पणी:** क्योंकि यह नियम केवल प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के तहत 5 अक्तूबर, 2007 या उससे पूर्व भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों जिन्हें, निगम में प्रतिनियुक्ति पर माना गया है पर लागू होते हैं, इसलिए इन नियमों के तहत इस पद पर भविष्य में कोई भर्ती नहीं की जाएगी ।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है।	किन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
11.	12.	13.
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[फा. सं. वि 13015/1/2021-बी ऐ इ]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव (प्रसारण-द्वितीय)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, 12th April, 2023

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of the All India Radio (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant in the Offices and Stations of All India Radio, Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. **Short title and commencement–** (1) These rules may be called the All India Radio (Library posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay level in pay matrix. –** The number of posts, their classification and pay level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. –** No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Assistant Library and Information Officer.	38* (2023) *Subject to variation dependent on workload. **Note:-** These rules shall cease to exist on the superannuation of all Assistant Library and Information Officers from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group B, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.
Promotion: Library and Information Assistant in level 6 (Rs. 35400- 112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Director General (Administration)/ (Human Resource) or Deputy Director General (Human Resource), Directorate General, All India Radio - Chairman; (2) Deputy Director General (Administration)/ (Human Resource) or Director (Human Resource), Directorate General, All India Radio - Member; (3) Deputy Director of Administration, Directorate General, All India Radio - Member.	Not Applicable

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2. Library and Information Assistant.	189* (2023) *Subject to variation dependent on workload. **Note:-** These rules shall cease to exist on the superannuation of all Library and Information Assistants from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable. **Note:** As these rules are applicable only to the Government servants on deemed deputation to the Corporation recruited on or before the 5th day of October, 2007 under the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, no further recruitment to this post shall be made under these rules.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which Promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.

[F. No. V-13015/1/2021-BAE]

C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy. (Broadcasting-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA